न्यायालय-श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय लिंक सागर , जिला-सागर

R. 2755-III/14

1. सुनील राठौर तनय पंचमलाल राठौर , नि.बण्डा जिला-सागर
2. रूपसिंह तनय पंचमलाल राठोर , सा.बण्डा , तह.बण्डा जिला-सागर (म.प्र)

.....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

अशोक कुमार तनय शोभाराम जैन , नि.बम्हौरी तहसील बक्सवाहा
जिला-छतरपुर (म.प्र)

.....गैरनिगरानीकर्ता

रा.अ.क्र. ता.प्रस्तुत 16/08/2014

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.स.

निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बक्सवाहा के रा.प्र.क्र. 13अ/3 वर्ष 2013 14 आ. दिनांक 28/06/2014 से परिवेदित होकर निम्न विधि व आधारो पर निगरानी पेश करता है :-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि , निगरानीकर्ता के पिता स्व.पंचमलाल ने अपने जीवनकाल में विक्रय पत्र दिनांक 03/05/1991 को ग्राम बक्सवाहा प.ह.नं. 80 रा.नि.मं. बक्सवाहा की भूमि ख.नं. 147/2 रकवा 0.155 आरे हरीनारायण. तनय हिम्मत राठौर से क्रय की थी। उक्त भूमि विक्रेता हरीनारायण ने मूल भूमि स्वामी घनप्रसाद जैन निवासी बम्हौरी बकसवाहा जिला छतरपुर से क्रय की थी। जिसकी चर्तुसीमायें पूर्व में सरकारी रोड, पश्चिम में हरीनारायण राठौर , उत्तर में सरकारी अस्पताल , दक्षिण में बबू असाटी नि: गुगवारा की भूमि/इस प्रकार निगरानीकर्ता के पिता ने भूमि क्रय कब्जा व मालकाना हक पाया था। बैनामा दिनांक 03/05/91 के अनुसार ही निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज चला आया।

2. यह कि उक्त भूमि का नक्शा में ख.नं. 147/1 एवं 147/2 बटांक किया गया। नक्शा में ख.नं. 147/3 का बटांक दर्ज नही था। प्रति निगरानीकर्ता ख.नं. 147/3 का बटांक दर्ज कराने का आवेदन पत्र दिया जो खारिज हो गया वाद में श्रीमान् कलेक्टर महोदय छतरपुर के आ.दिनांक 30/03/2013 से प्रकरण पुनः तहसीलदार बक्सवाहा को प्रत्यावर्तित किया गया जो श्रीमान् तहसीलदार महोदय ने बिना किसी आधार के तथा प्रति.अपी. के दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/05/91 का बिना अवलोकन किये आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध हैं। जिसकी जानकारी दिनांक 28/07/2014 को प्राप्त हुई तथा उसी दिनांक को नकल हेतु आवेदन पत्र देने तथा दिनांक 30/07/2014 को नकल प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2755-तीन/2014 जिला छतरपुर सुनील विरूद्ध अशोक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड उपस्थित। आवेदक के द्वारा तहसीलदार बक्सवाहा के प्रकरण क्रमांक 13/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य